

वरुण सिंह, गौरव अग्रवाल, राकेश उपाध्याय, अतुल यादव, श्यामनाथ चौधरी, अरविन्द चौरसिया, राम नेवास गिरि सहित बड़ी भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

होगा

ब्लाक स्तरीय संगोष्ठी, उन्मुखीकरण समारोह में शिक्षा को बेहतर बनाने पर विमर्श

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
पीली (संतकबीर नगर)। ब्लाक संसाधन केंद्र पीली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय शनिवार बाजार के परिसर में बुधवार को वैश्विक शिक्षा विभाग द्वारा ब्लाक स्तरीय एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन खण्ड शिक्षा अधिकारी जनार्दन यादव की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि धनघटा नगरपालिका प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण दुबे व विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता दिनेश राय ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

मुख्य अतिथि विधायक नारायण नरार पंचायत हेरर लक्ष्मी नारायण दुबे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा को कठिन परिश्रम से वैश्विक शिक्षा में बढ़ा बदलाव आया है। जिसका उदाहरण ग्राम पंचायतों के विभिन्न स्कूलों पर देखें को मिल रहा है। भाजपा सरकार ने कालिका योजना बना कर सभी मूलभूत सुविधा सौंपा है। शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक शिक्षा विभाग द्वारा निम्न अभियान चलकर बच्चों को निम्न कक्षा जा रहा है। अब परिधिदीय विद्यालय किसी कानिदेंट से कम नहीं है।

विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता दिनेश राय ने कहा कि विद्यालय के विकास में ग्राम प्रधान व ब्लाक



के अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्कूलों के विकास में जो एन आर आर विना बटवारा किए वन का सदस्यता करें।

खण्ड विकास शिक्षाधिकारी जनार्दन यादव ने कहा कि विद्यालयों के विकास में ग्राम प्रधान, एसएमसी अध्यक्ष और प्रधानाध्यापिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रह। आगामी कार्यवाह्य योजना के तहत अधिकारिक विद्यालयों के सभी परामिटर तो पूरा कर लिए हैं लेकिन कुछ अवशेष भी है। उरें भी पूर्ण करणें। डीबीटी योजना पर विस्तार से बताते हुए कहा कि अभियांत्रिक के खाते में ड्रेस, स्वेटर व जूता मोजा का धन आने वाला है। उसे जरूर खरीदें। साथ ही संचयन कर की अन्य आयोजनाओं को भी निगमों और सभी आंगणुका का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया।

विद्यालयों में उत्कृष्ट

हड़दोवा फाटक रोड के चौड़ीकरण से दूटोंगे 1000 मकान

संवाददाता—गोरखपुर। गोरखपुर के हड़दोवा फाटक के अंगल-बंगल छाती पड़ी जमीनें खरीदकर पांच फहले घर बनवाने वालों ने तब सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके इलाके में भी फोरलेन और दू लेने जैसे चौड़ी सड़क बनेगी। लेकिन अब जब यह साकार होने जा रहा है तो सड़क के किनारे घर बनवाने वालों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि चौड़ीकरण के लिए गोरखनाथ मंदिर रोड से लेकर मंडिकल कोजज रोड के एरएन सिंह चौहान तक करीब पांच किलोमीटर के बीच सड़क के दोनों तरफ के लगभग एक हजार मकान व दुकानों पर बुलडोजर चलाना होगा। स्थानीय लोग इस सड़क चौड़ीकरण का विरोध। न ही कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि उनका मकान उसना ही तोड़ा जाए, जिससे कि बचदू बचा रहे। इन सबके बीच मकान व जमीन की भागीदार होने से इस इलाके में खलबली मची हुई है। एरएन सिंह चौहान से बारापुर रोड के रास्ते हड़दोवा फाटक होते हुए हुमापुर चौहान से मुंडकर गोरखनाथ मंदिर तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण होगा।

इस मार्ग पर दिन-रात वाहनों की आवाजही रहती है। हड़दोवा फाटक पर ओवरब्रिज रहती है। इस सड़क व पुन निर्माण का सीएम शिलालया की कर चुके हैं। पहले पुन निर्माण के लिए जाह की तलाश हो रही है। मालबार दोआब में हड़दोवा फाटक से हुमापुर के बीच जमीनी की पैदाइश हो रही थी। बताया गया कि कर्माल सड़क के मध्य सड़क से दोनों तरफ 17-17 मीटर जमीन की जा रही है। हड़दोवा फाटक के पास सड़क के किनारे स्टेशनरी की छोटी सी दुकान चलाने वाले परबख्त कहते हैं कि सड़क चौड़ा होने की सबसे अधिक खुशी उन लोगों को है जिसका मकान सड़क से जुड़े था। क्योंकि वर्तमान सड़क के मध्य सड़क से दोनों तरफ 17 मीटर जमीन ली जा रही है। अब जिसके घर सड़क के किनारे हैं, उनका वो हीराई है भी अधिक हिस्सा निकल जा रहा है। किसी का घर फिट बच रहा है तो किसी का

छह फिट। इतनी जगह में एक दुकान भी नहीं बनेगी। ऐसे में अगली कतार साफ हो जायगी और पीछे वाले फ्रंट पर आ जायेंगे। अभी तक जो फ्रंट पर है वे यहां से उजड़ जायेंगे। वहां खड़े राक्षस निबाद इनकी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अब तो मोहल्ला ही उजड़ जाएगा। हड़दोवा फाटक से हुमापुर चौहान की तरफ करीब 20 मीटर आगे बढ़ने पर लाइन से मिट्टी के बर्तनों की दुकानें हैं। यहां पांच घर महिएए चर्चा कर रही थी। 65 वर्षीया सुखराजी देवी की आंख डबडबा गई थी। कितना घर बचेगा के सवाल पर कहती हैं कि अब का बताई बाइ तब, इहां तक आवे खातिर रिश्ता भी नाई मिले। पदेल आवेके पड़े।

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाव उम्रू तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जु0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0 385/2019
शफीक अहमद
बनाम
रामचंद्र आदि
1. रामचंद्र 2. पंचम पुत्रगण हननाम निवासीगण ग्राम सिगाडिहों तपा रूखीली परगना मगरहर पश्चिम तहसील खलीली जिला—बस्ती
—प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
3. महमूद अहमद 4. शफीक अहमद पुत्रगण मी0 नजीर निवासीगण ग्राम सिगाडिहों तपा रूखीली परगना मगरहर पश्चिम तहसील खलीली जिला—बस्ती
—प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
5. गया प्रसाद पुत्र बखेडू उर्फ सुभेन साकिन बनाम तपा रूखीली परगना मगरहर पश्चिम तहसील खलीली जिला—बस्ती
—प्रतिवादी तृतीय वर्ग
तारीख पेशी 08-04-2024
हरगाह ने आपके नाम
नालिश बाबत के दायर की है।
लिहाजा आपके हुकम होता है कि आप बतारीख 08 माह 04 सन 2024 ई0 बवत 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्रू अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्खा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दायी कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकरर है वारते इन्फिसाल कलई0 मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।
आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरि हरगाह आपके मसमूआ और फैसला होगा। बखसल मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाव उम्रू तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जु0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0 373/2023
मो0 याकूब आदि
बनाम
रामनेवास आदि
1. रामनेवास उम्र 42 साल 2. रामलगतन उम्र करीब 34 साल 3. विक्रम उम्र करीब 36 साल 4. जोधन उर्फ रामसेवक उम्र करीब 38 साल पुत्रगण अयोध्या 5. अयोध्या उम्र करीब 67 साल पुत्र गरीब समस्त साकिनन हरया मेया तथा रूखीली परगना मगरहर पश्चिम तहसील खलीली जिला—बस्ती पो0—मुहारा
तारीख पेशी 25-04-2024
हरगाह ने आपके नाम
नालिश बाबत के दायर की है।
लिहाजा आपके हुकम होता है कि आप बतारीख 25 माह 04 सन 2024 ई0 बवत 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्रू अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्खा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दायी कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकरर है वारते इन्फिसाल कलई0 मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।
आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरि हरगाह आपके मसमूआ और फैसला होगा। बखसल मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना सरकार प्रारूप)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जु0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0 369/2023
मो0नलगत
बनाम
बेकारू आदि
1. बेकारू पुत्र दुलारे उम्र लगभग 60 साल 2. जगन्नाथ उम्र लगभग 34 साल 3. विक्रम उम्र करीब 36 साल 4. जोधन उर्फ रामसेवक उम्र करीब 38 साल पुत्रगण अयोध्या 5. अयोध्या उम्र करीब 67 साल पुत्र गरीब समस्त साकिनन हरया मेया तथा रूखीली परगना मगरहर पश्चिम तहसील खलीली जिला—बस्ती पो0—मुहारा
तारीख पेशी 18-04-2024
हरगाह ने आपके नाम
नालिश बाबत के दायर की है।
लिहाजा आपके हुकम होता है कि आप बतारीख 18 माह 04 सन 2024 ई0 बवत 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्रू अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्खा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दायी कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकरर है वारते इन्फिसाल कलई0 मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।
आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरि हरगाह आपके मसमूआ और फैसला होगा। बखसल मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

कुसमर्ही जंगल में पुलिस से मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया चैन लुटेरा, पैर में लगी गोली

संवाददाता—गोरखपुर। एस थाना क्षेत्र के कुसमर्ही क्षेत्र में महिलाओं के गले से चैन लुटेरा ने एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। उसके साथी बाइक लेकर जंगल में भाग गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान पिराहण थाना क्षेत्र के बकरी रतबहिया निवासी अनिल चौहान के रूप में हुई। उसे पुलिस ने जिला अस्पताल में गंती कराया है।



एम्पी सिटी के कैंबेनोई ने बताया कि उसके एक अन्य साथी की पुलिस सरगमी से तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, कुसीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के रामपुर माफी गांव की निवासी अपने पति अतुल साहनी के साथ मंगलवार को बुधिया माता मंदिर में

दर्शन करने गई थीं। करीब दो बजे के बाद वह कुसमर्ही पिराहण मंड पर घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगीं। तभी एक बदमाश उनके गले से मंगलपूर चीनगर मांग गया। निवासी की सूचना पर एक अज्ञात बदमाश के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज करके पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। बताया जाता है कि इनके पहले दोहरी सवारों को खंडखंड गांव की गुड्डि सिंह के गले से सोने की लकड़कर बाइक सवार बदमाश

मांगे थे। घटना के बाद कुसमर्ही जंगल सहित अन्य जगहों पर पुलिस की विफेट लगा दी गई। बुधवार की शाम बाइक सवार दो संधिय युवकों को पुलिस ने रूकने का इशारा किया तो वह जंगल की ओर भाग फायरे। पुलिस के पीछा करने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक युवक के दाहिने पैर में गोली लगी। दूसरा तेजी से भाग निकला। घायल को पुलिस जिला अस्पताल में भर्त कराया। उसने चैन लूट की घटनाओं में शामिल होना कतु किया। उसके खिलाफ पहले से लूट के आठ मामले दर्ज हैं।

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाव उम्रू तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जु0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0 119/1990
नूरुन
बनाम
चन्दी
1. मनोज पुत्र लक्ष्मी 2. जीतु पुत्र लक्ष्मी 3. अनिता पत्नी लक्ष्मी समस्त निवासीगण ग्राम नगर खस तपा खेरीली परगना नगर पुरव तहसील जिला—बस्ती
तारीख पेशी 29-04-2024
हरगाह मुद्दई ने एक
नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्ददाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मीत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरखास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतलफा मजकूर का कयम मुकाम कानूनी वारिस हैं और चाहता है कि बजाय उसके मुद्ददाअलेह बनाये जाय।
बखसल मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाव उम्रू तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जु0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0 882/2015
श्रीमती शीता मिश्रा
बनाम
श्रीमती इसराजी देवी आदि
1. श्रीमती इसराजी देवी पत्नी स्व0 शीलाम 2. श्रीम पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद 3. बालकमुदम 4. राजेन्द्र प्रसाद 5. वीरेन्द्र कुमार पुत्रगण हरौलम निवासीगण मौजा पंचपहिया तपा हवेली बतारीख तहसील पुरव तहसील जिला—बस्ती
तारीख पेशी 22-03-2024
हरगाह ने आपके नाम
नालिश बाबत के दायर की है।
लिहाजा आपके हुकम होता है कि आप बतारीख 22 माह 03 सन 2024 ई0 बवत 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्रू अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्खा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दायी कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकरर है वारते इन्फिसाल कलई0 मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।
आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरि हरगाह आपके मसमूआ और फैसला होगा। बखसल मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अदालती नोटिस
समन वास्ते करारवाव उम्रू तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जु0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0 882/2015
श्रीमती शीता मिश्रा
बनाम
श्रीमती इसराजी देवी आदि
1. श्रीमती इसराजी देवी पत्नी स्व0 शीलाम 2. श्रीम पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद 3. बालकमुदम 4. राजेन्द्र प्रसाद 5. वीरेन्द्र कुमार पुत्रगण हरौलम निवासीगण मौजा पंचपहिया तपा हवेली बतारीख तहसील पुरव तहसील जिला—बस्ती
तारीख पेशी 22-03-2024
हरगाह ने आपके नाम
नालिश बाबत के दायर की है।
लिहाजा आपके हुकम होता है कि आप बतारीख 22 माह 03 सन 2024 ई0 बवत 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिक किया गया हो और जो कुल उम्रू अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्खा हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दायी कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकरर है वारते इन्फिसाल कलई0 मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।
आपको इस्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरि हरगाह आपके मसमूआ और फैसला होगा। बखसल मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
दो हाकिम

अब घर बैठे रामलला की आरती देख सकेंगे भक्त



संवाददाता—अयोध्या। रामलला के भक्तों को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक रूई सुविधा प्रदान की गई है। भक्त घर बैठे हर दिन सवे अयोध्या से आरती का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। दूरदर्शन रोज सुबह 6:15 बजे अयोध्या में राम मंदिर पर से दैनिक आरती का प्रसारण करेगा। इसका शुभारंभ हो गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से राम मंदिर भक्तों के लिए खोला गया था। वहीं खुले ही रामलला के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रामलला के दरबार में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना डेढ़ से दो लाख भक्त रामलला को दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं।

अभी कुछ दिन पहले ही रामलला की आरती में शामिल होने के लिए ट्रस्ट की ओर से पावर की व्यवस्था शुरू की गई थी। श्रृंगार, भोग व भजन आरती में शामिलित होने के लिए ट्रस्ट की ओर से पास जारी किए जाते हैं। अब रामलला की सुबह 6:15 बजे होने वाली श्रृंगार आरती के लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। दूरदर्शन ने मंगलवार को पहले दिन इसका ट्रायल किया है। कुववार से रोजाना लाइव प्रसारण की सुविधा सुचारु रूप चलने लगी। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक लगभग 75 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। राम मंदिर के ट्रस्टी डॉ॰ अनिल मिश्रा ने बताया कि

छट्टा गोवंश के हमले से बुजुर्ग की मौत

संवाददाता—अयोध्या। स्वामीय तारुन बाबाय ने छट्टा गोवंश के हमले में 92 वर्षीय बुढ़ की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहलम मना हुआ है। बाबाय निवासी राधवनगर वर्मा के पिता गोरक्षचक्र पुत्र राम सरजू उम्र 92 वर्ष बुधवार की सुबह घर से कुछ दूरी पर तारुन गोसाईंनग्न मार्ग पर गये दूधे थे। इसी दौरान सवार पर घूम रहे छट्टा गोवंश सांड में उन पर हमला कर दिया। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गए। अंगराम फानन ने उन्हें परितन इलाज के लिए समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन ले गये। अस्पताल में मौजूद डॉ॰ अशोक विवसार व फार्मासिट आर के वर्मा ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत नाजुक देख मंडिकल कोलेज रेफर कर दिया। मंडिकल राधवनगर वर्मा व अफिकन ने बताया कि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इससे पहले भी सांड के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं।

कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0

नवीन मण्डी स्थल- बस्ती

पत्रांक: निर्माण/निविदा/बस्ती/2024-695 दिनांक: 12.03.2024

:- अति0 अलपत्रकालीन ई-निविदा सूचना :-

निम्न कार्यो हेतु मण्डी परिषद में पंजीकृत एवं वित्तीय रूप से सुदृढ प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारों / फर्म से अलग अलग तकनीकी एवं वित्तीय बिड ई-टेंडरिंग के माध्यम से दिनांक 19.03.2024 को आनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है, ई-टेंडरिंग के माध्यम से आनलाइन निविदा वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर दिनांक 19.03.2024 को अपराह्न 12.00 बजे तक डाउनलोड कर अपलोड कर आपलोड की जा सकती है, जो उसी दिन निविदादाता ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों (यदि उपस्थित हूए) के समक्ष दिनांक 19.03.2024 को अपराह्न 12.30 बजे अपलोडकर निर्माण कार्य में आनलाइन खोली जायेगी। निविदा की तकनीकी बिड उपयुक्त पाये जाने पर वित्तीय बिड खोली जायेगी।

क्र0	सं0	कार्य का नाम	कार्य की लागत (लाख रु0 में)	घरोरल (लाख रु0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (लाख रु0 में)	कार्य पूर्ण की अवधि	निविदा की की श्रेणी	निविदा की की श्रेणी	मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेण जो निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं
1	3	4	5	6	7	8	9		
33		लोक समा सामाजिक निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत नवीन मण्डी स्थल लोगन में पूर्व निर्मित 08 एच श्रेणी, 09 नग व श्रेणी एवं 29 नग व श्रेणी दुकानों की मरम्मत/रंगाई-पुताई, हातिग्रस्त नाली की आंशिक मरम्मत तथा आंतरिक सड़क की पैव मरम्मत इत्यादि कार्य।	6.81	0.70	1700.00	15 दिन	90	"द"	अ, ब, स, द

- नोट:-**
- घरोरल बनराशि का मूल्य उपनिदेशक (निर्माण) के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा साकडाट बस्ती के खाता संख्या 30394488595 आईएफएससी कोड संख्या SBIN0011200 एवं निविदा का मूल्य खाता संख्या 30394488415 आईएफएससी कोड संख्या SBIN0011200 उभ निदेशक (निर्माण) के नाम आगर-अगर आर0टी0जी0एस0 करना होगा, जिसका बैंक से सत्यापित यू0टी0आर0 नम्बर हाई काफी में उपलब्ध कराना होगा, एवं अपलोड भी करना अनिवार्य होगा।
 - निविदादाता द्वारा अपलोड किये गये खाते में से यदि कोई भी प्रपत्र फंसी जाया जाता है तो उसे निविदादाता द्वारा मण्डी परिषद के प्रभु में जमा जमाउन धराराशि को मण्डी परिषद के खाते में जमा करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।
मण्डी परिषद युक्तलय के आदेश पत्रांक गु0अभिग्रेड-2/(1168)/माग-4/2005) /2022-641 दिनांक 11.08.2022 एवं पत्रांक 217 दिनांक 29.05.2023 एवं परिसर पत्रांक 487 दिनांक 11.07.2023 के अधीन 'अ' एवं 'ब' श्रेणी में मण्डी परिषद के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों/कार्यालयों संस्थाओं (नॉन-प्राइवेट, आर0ई0डी0, यू0पी0आर0एन0एन0, यू0पी0वीसी0एल0) में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निवाहित निर्माण के अनुभव भी प्रतिभाग कर सकेंगे। पी0डब्ल्यू0डी0, आर0ई0डी0, यू0पी0आर0एन0एन0, व यू0पी0वीसी0एल0) 'अ' श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार 'अ' व 'ब' श्रेणी के कार्य में तथा 'ब' श्रेणी में पंजीकृत फर्म 'ब' श्रेणी के कार्य में निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं। अन्य श्रेणी के कार्य में प्रतिभाग करने पर निविदा प्रपत्र दृष्टया निरस्त कर दी जायेगी।
 - अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों की निविदा प्रपत्र न्यायन आती है तो उन्हें मण्डी परिषद में पंजीकरण कराना होगा तथा अनुभव नयन के समय 10 प्रतिशत अतिरिक्त घरोरल बनराशि जमा करनी होगी।
 - विरुद्ध नियम व शर्त आनलाइन निविदा वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

उप निदेशक (निर्माण)

दैनिक भारतीय बस्ती

रवतारिका, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिंटिंग प्रेस फि0, नया होल 1-4 A लोहिया कांमपलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्धक सम्पादक—दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक—प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या—फैजाबाद फाट
चतुर्थी मंदिर परिसर क्लेन घाट
अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय—
आध्यात्म चौहा, एल0बी0 कालेनी,
सेक्टर एच, कानपुर डेड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय—
इलाहिगंज गोरखपुर।
मो09450675400 9336715406,
ई0मे0bhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com